बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक- नि० प्रा०/ नि० 5-06/2017 खण्ड-VII 794 / पटना, दिनांक 03/06/2019

प्रेषक,

गिरीश शंकर,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), पटना।

प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), फतुहा।

विषय : **फतुहा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० की प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।**

महाशय,

न्यायालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा विविध वाद संख्या 460/2016 कृष्णा प्रसाद सिंह एवं अन्य -बनाम- फतुहा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0 फतुहा द्वारा प्रबंधक एवं अन्य में दिनांक 10.05.2019/14.05.2019 को 192 सदस्यों का नाम फतुहा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0, फतुहा, पटना की सदस्यता सूची/ मतदाता सूची में जोड़े जाने को अवैध घोषित करते हुए उनका नाम प्रासंगिक व्यापार मंडल की सदस्यता/ मतदाता सूची से हटाने का आदेश पारित किया गया है, जिसे ज्ञापांक 382/RL दिनांक 14.05.2019 द्वारा परिचारित किया गया है।

2. निबंधक, सहयोग समितियाँ के उक्त आदेश के उपरांत फतुहा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0 की मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्रमांक	कार्यक्रम	अवधि
1	व्यापार मंडल के प्रबंधक/ सचिव द्वारा प्रपत्र-1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	13.06.2019
2	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	15.06.2019
3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर प्रकाशन	18.06.2019
4	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित है	18.06.2019
5	आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	28.06.2019 तक
6	आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	01.07.2019

3. मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्राधिकार द्वारा कट–ऑफ तिथि दिनांक 31.05.2019 निर्धारित की गयी है। केवल वैसी समितियाँ एवं व्यक्तिगत किसान (पुरानी उपविधियों के मामले में) ही मत देने के योग्य होंगे जो उक्त तिथि तक व्यापार मंडल से संबद्ध है या सदस्य बन चुके है।

4. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप प्रकाशन की सूचना उसी दिन जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायगी एवं उक्त सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा दिनांक 20.06.2019 तक प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायगी।

5. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के पहले प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। **दिनांक 01.07.2019 को निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में ही निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन को उसी प्रपत्र में ई-मेल या विशेष दूत द्वारा दिनांक 03.07.2019 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।**

6. मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 792 दिनांक 06.08.2018 द्वारा दिये गये अन्य निदेश यथावत रहेंगे।

7. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं निर्वाचन पदाधिकारी दोनों अपने-अपने स्तर से संबंधित व्यापार मंडल के सचिव/ प्रबंधक को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

विश्वासभाजन,

03/6/19

(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 794 /पटना, दिनांक 03/06/2019

प्रतिलिपि : जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे कृपया निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्त्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 794 /पटना, दिनांक 03/06/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 794 /पटना, दिनांक 03/06/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 794 /पटना, दिनांक 03/06/2019

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी